[भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग - II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या. 01/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. (अ):- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचनाओं को उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से आगे संशोधित किया जाएगा, यथा:-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	20/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल 2015 [सा.का.नि. संख्या 271(अ), दिनांक 8 अप्रैल , 2015]	उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतस्थापित किया जाएगा, यथा:- "3. उपर्युकत पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, 10 अप्रैल 2019 को या उसके बाद, कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम पर सक्षम पंजीकरण पत्तन के लिये, भौतिक प्रति के बिना इलेक्ट्रोनिक रूप जारी उक्त पर्ची के संम्बध मे यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, नामश :- (1) यह कि अधिसूचना सं. 24/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल 2015 [सा.का.नि. 269 (अ) दिनांक 8 अप्रैल 2015] के पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट शर्तो (1) से (3) का पालन किय गया है और उक्त पर्ची में उल्लखित पंजीकरण पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारी

		(जिसे इसके बाद उक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी कहा गया है) के यहां उक्त पर्ची को पंजीकृत किया गया है; (2) यह कि उक्त पर्ची का धारक, जो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे पर्ची मूलत: जारी की गई थी या हस्तांतरण धारी हो, उक्त पर्ची का ब्यौरा उक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को आपूर्तिकर्ता या विनिर्माता से प्राप्त पत्र या प्रोफार्मा बीजक के साथ प्रस्तुत करे जिसमें उसके क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी (जिसे इसके बाद उक्त अधिकारी कहा गया है) के ब्यौरे हो तथा निकासी किये जाने वाले माल का विवरण, मात्रा, मूल्य एवम उस पर उदग्रहणीय शुल्को के ब्यौरे हो, इस छूट को छोडकर; (3) यह कि उक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 24/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल 2015 [सा.का.नि.] 269(अ) दिनांक 8 अप्रैल 2015, के तहत आयातो तथा नामे की गई राशि, अधिसूचना सं. 10/2015-सेवा कर, दिनांक 8 अप्रैल 2015 [सा.का.नि. 273 (अ)] दिनांक 8 अप्रैल 2015] के तहत नामे की गई राशि और इस छूट के अंतर्गत पहले से नामे की गई राशि को ध्यान में रखते हुए, उदग्रहणीय शुल्क को, यदि यह छूट न दी गई हो तो, कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रोनिक रूप से नामे कर लेगा और इस कार्रवाई की लिखित सलाह उक्त अधिकारी को देगा ; (4) यह कि निकासी के समय, पर्ची का धारक उक्त अधिकारी को संबोधित करते हुए इस बात का एक वचनपत्र प्रस्तुत करता है कि यदि उक्त पर्ची में किसी धनराशि के कम नामे होने के मामले मे वह मांग करने पर कम नामे की धनराशि के बराबर धन लागू ब्याज के साथ अदा करेगा ; (5) यह कि उक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी से प्राप्त लिखित सलाह और उक्त वचनपत्र के आधार पर उक्त अधिकारी उक्त लिखित सलाह में उल्लिखित निकासी के ब्यौरे को पृष्ठांकित करता है और उसको वैध कर देता है और देय शुल्क के ब्यौरे को भी पृष्ठांकित कर देता है यदि यह छूट न दी गई हो तो, जिसको कि उक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी के द्वारा नामे किया गया था और ऐसे निकासी का एक

		अभिलेख रखता है ; (6) यह कि उक्त अधिकारी ऐसे पर्ची धारक को और विनिर्माता को उक्त पृष्ठांकित लिखित सलाह की सत्यापित प्रतियां विधिवत रूप से उपलब्ध कराएगा, जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत अपने निकासी के समर्थन में अपने पास रखेंगे; (7) यह कि उक्त स्क्रिप धारक, जिसको कि माल की निकासी की गई उक्त पर्ची में नामे की गई तथा वैध की गयी राशि के एवज में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चतुर्थ अनुसूची के अंतर्गत लगने वाले उत्पाद शुल्क की प्रतिअदायगी या सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेने का पात्र होगा ।".
2.	21/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिनांक 8 अप्रैल, 2015 [सा.का.नि. सं. 272(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2015]	उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतस्थापित किया जाएगा, यथा:- "3. उपर्युकत पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, 10 अप्रैल 2019 को या उसके बाद, कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम पर सक्षम पंजीकरण पत्तन के लिये, भौतिक प्रति के बिना इलेक्ट्रोनिक रूप जारी उक्त पर्ची के संम्बध मे यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, नामश :- (1) यह कि अधिसूचना सं. 25/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल 2015 [सा.का.नि. 270 (अ) दिनांक 8 अप्रैल 2015] के पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट शर्तो (1) ओर (2) का पालन किय गया है और उक्त पर्ची में उल्लखित पंजीकरण पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारी (जिसे इसके बाद उक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी कहा गया है) के यहां उक्त पर्ची को पंजीकृत किया गया है; (2) यह कि उक्त पर्ची का धारक, जो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे पर्ची मूलत: जारी की गई थी या हस्तांतरण धारी हो, उक्त पर्ची का ब्यौरा उक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को आपूर्तिकर्ता या विनिर्माता से प्राप्त पत्र या प्रोफार्मा बीजक के साथ प्रस्तुत करे जिसमें उसके क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी (जिसे इसके बाद उक्त

		अधिकारी कहा गया है) के ब्यौरे हो तथा निकासी किये जाने वाले माल का विवरण, मात्रा, मूल्य एवम उस पर उदग्रहणीय शुल्को के ब्यौरे हो, इस छूट को छोडकर; (3) यह कि उक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 25/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल 2015 [सा.का.नि.] 270(अ), दिनांक 8 अप्रैल 2015, के तहत आयातो तथा नामे की गई राशि, अधिसूचना सं. 11/2015-सेवा कर, दिनांक 8 अप्रैल 2015 [सा.का.नि. 274 (अ), दिनांक 8 अप्रैल 2015] के तहत नामे की गई राशि और इस छूट के अंतर्गत पहले से नामे की गई राशि को ध्यान में रखते हुए, उदग्रहणीय शुल्क को, यदि यह छूट न दी गई हो तो, कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रोनिक रूप से नामे कर लेगा और इस कार्रवाई की लिखित सलाह उक्त अधिकारी को देगा ; (4) यह कि निकासी के समय, पर्ची का धारक उक्त अधिकारी को संबोधित करते हुए इस बात का एक वचनपत्र प्रस्तुत करता है कि यदि उक्त पर्ची में किसी धनराशि के कम नामे होने के मामले मे वह मांग करने पर कम नामे की धनराशि के बराबर धन लागू ब्याज के साथ अदा करेगा ; (5) यह कि उक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी से प्राप्त लिखित सलाह और उक्त वचनपत्र के आधार पर उक्त अधिकारी उक्त लिखित सलाह में उल्लिखित निकासी के ब्यौरे को पृष्ठांकित करता है और उसको वैध कर देता है और देय शुल्क के ब्यौरे को भी पृष्ठांकित कर देता है यदि यह छूट न दी गई हो तो, जिसको कि उक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी के द्वारा नामे किया गया था और ऐसे निकासी का एक अभिलेख रखता है ; (6) यह कि उक्त अधिकारी ऐसे पर्ची धारक को और विनिर्माता को उक्त पृष्ठांकित लिखित सलाह की सत्यापित प्रतियां विधिवत रूप से उपलब्ध कराएगा, जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत अपने निकासी के समर्थन में अपने पास रखेंगे; (7) यह कि उक्त स्क्रिप धारक, जिसको कि माल की निकासी की गई उक्त पर्ची में नामे की गई तथा वैध की गयी राशि के एवज में

		केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चतुर्थ अनुसूची के अंतर्गत लगने वाले उत्पाद शुल्क की प्रतिअदायगी या सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेने का पात्र होगा ।".

[फ.सं. 605/23/2018-डीबीके]

(आनंद कुमार झा)
अवर सचिव भारत सरकार

नोट:

(1) प्रधान अधिसचूना संख्या 20/2015-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 271(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II , खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था ओर इसमें अंतिम बार अधिसचूना संख्या 17/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को जिसे सा.का.नि. संख्या 755(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित किया गया था ।

(2) प्रधान अधिसचूना सं. 21/2015-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 272(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II , खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था ओर इसमें अंतिम बार अधिसचूना संख्या 17/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को जिसे सा.का.नि. संख्या 755(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित किया गया था ।